

राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन)

जबकि, राष्ट्रीय मौसम सेवा (नेशनल वेदर सर्विस) का पूर्वानुमान है कि मंगलवार, 1 फ़रवरी, 2022 से शुरू करते हुए और संभावित रूप से कम-से-कम शुक्रवार, 4 फ़रवरी, 2022 की सुबह तक सर्द तूफ़ान लैंडन (विंटर स्टॉर्म लैंडन) इलिनॉय राज्य की काउंटियों की एक काफ़ी बड़ी संख्या को प्रभावित करेगा और इलिनॉय के बड़े इलाकों में ओलों के साथ बारिश, बर्फ़, बारिश और तेज़ हवाओं के साथ नौ से अठारह इंच तक का अच्छा-खासा हिमपात करेगा; और,

जबकि, यह तूफ़ान शिकागो और लेक मिशिगन के इलाके से लेकर मध्य इलिनॉय तक, राज्य के कई भागों में दैनिक जीवन में प्रमुख-से-चरम स्तर के व्यवधान का ख़तरा उत्पन्न करता है, और बाक़ी के अधिकांश इलिनॉय में मामूली-से-मध्यम स्तर के प्रभावों का ख़तरा भी उत्पन्न करता है; और,

जबकि, इस आसन्न सर्द तूफ़ान से जिन व्यवधानों का ख़तरा है उनमें आवासों और व्यवसायों की बिजली आपूर्ति कटना, सड़क मार्गों के हिम और बर्फ़ से ढक जाने और सब कुछ सफ़ेद दिखने की स्थिति बनने से यात्रा बाधित होना, हिम का तेज़ी से उड़ना और हिम के झोंके चलना, और स्थानीय सड़क कर्मियों पर अत्यधिक बोझ पड़ना शामिल है; और,

जबकि, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अधिकरण द्वारा नियोजन और विश्लेषण इंगित करते हैं कि इस शीतकालीन तूफ़ान के प्रभाव से स्थानीय संसाधनों और क्षमताओं के समाप्त होने की उम्मीद है, और तूफ़ान का जवाब देने और उससे उबरने के लिए राज्य के संसाधनों की पूर्व-स्थिति और तैनाती की आवश्यकता है; और,

जबकि, ये शर्तें इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम की धारा 7 के तहत आपदा की घोषणा जारी करने के लिए कानूनी औचित्य प्रदान करती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सभी निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है; और,

जबकि, इलिनॉय का संविधान, अनुच्छेद V, अनुभाग 8 में, यह प्रदान करता है कि "राज्यपाल के पास सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति होगी, और वह कानूनों के न्यायसंगत निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा," और प्रस्तावना में कहता है कि, इलिनॉय के संविधान का केंद्रीय उद्देश्य है "लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करना";

अब, अतः, इलिनॉय के लोगों और सार्वजनिक स्वास्थ्य व सुरक्षा हेतु उत्तरदायी स्थानीय सरकारों की सहायता के हित में, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), इसके द्वारा निम्नगत उद्घोषणा करता हूँ:

अनुभाग 1: इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अधिकरण अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act) के 20 ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, मैं यह पाता हूँ कि इलिनॉय राज्य के भीतर एक आपदा मौजूद है और विशेष रूप से इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित करता हूँ। यह उद्घोषणा, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अधिकरण अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act), 20 ILCS 3305/7 के

अनुभाग 7 में प्रदत्त समस्त आपातकालीन शक्तियों, जिनमें नीचे वर्णित विशिष्ट आपातकालीन शक्तियां शामिल हैं पर उन्हीं तक सीमित नहीं हैं, के उपयोग के प्राधिकार की अनुमति देती है।

अनुभाग 2. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (Illinois Emergency Management Agency) को राज्य आपातकालीन संचालन योजना को लागू करने और आपदा प्रतिक्रिया और बहाली कार्यों में स्थानीय सरकारों का समर्थन करने के लिए राज्य के संसाधनों का समन्वय करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

अनुभाग 3. प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक आपातकालीन खरीद, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act) द्वारा अधिकृत अन्य आपातकालीन शक्तियों के संबंध में सहायता देने के लिए, इलिनॉय अधिप्राप्ति संहिता (प्रोक्योरमेंट कोड) के वे उपबंध, जो इस आपदा का सामना करने में आवश्यक कार्रवाई को किसी भी प्रकार से रोकते, बाधित करते, या विलंबित करते हों, उस सीमा तक स्थगित किए जाते हैं जिस सीमा तक कि वे संघीय कानून के लिए आवश्यक नहीं हैं।

अनुभाग 4: यह उद्घोषणा संघीय आपदा सहायता के अनुरोधों को सुगम कर सकती है, बशर्ते क्षति का पूर्ण व व्यापक आकलन यह इंगित करे कि प्रभावी बहाली राज्य और प्रभावित स्थानीय सरकारों की क्षमताओं से परे है।

अनुभाग 5: यह उद्घोषणा तत्काल प्रभावी होगी।

जे.बी. प्रिट्ज़कर (JB Pritzker)
राज्यपाल (गवर्नर)

दिनांक: 1 फरवरी, 2022